प्रेस विज्ञप्ति
19/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने अवैध विदेशी विप्रेषण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मणिदीप मागो को गिरफ्तार किया है। मणिदीप मागो को 18/06/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, और माननीय न्यायालय ने 23/06/2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने इस स्रोत सूचना के आधार पर जांच शुरू की कि दिल्ली की एक कंपनी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 1858 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टो करेंसी बेची है। प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता चला कि कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं ने 3500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का बहिर्गामी विदेशी विप्रेषण भी किया है। इसके अलावा, संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा भी की गई है। प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर निदेशालय द्वारा फेमा के तहत तलाशी कार्रवाई संचालित की गई।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट सक्रिय है और निर्यातकों/

आयातकों से नकदी एकत्र कर रहा है; और फर्जी चालान के एवज में इसे विदेशों में भेज रहा है। इस बड़े ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, क्रिप्टो माइनिंग के लिए जी.पी.यू सर्वरों के ऑनलाइन पट्टे, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, बेयर मेटल सर्वरों के पट्टे आदि के लिए बनाए गए फर्जी चालानों के एवज में 3500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बहिर्गामी विदेशी विप्रेषण कनाडा और हांगकांग में किए गए हैं। यह पता चला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाला की सुविधा प्राप्त करने के लिए हांगकांग और कनाडा में कंपनियों को निगमित किया है। सिंडिकेट ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाला संचालन के हिस्से के रूप में अवैध क्रिप्टो माइनिंग और मध्यस्थता व्यापार में भारी निवेश किया है। ईडी को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कुछ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। फर्जी चालान तैयार किए गए और नकदी जमा को समायोजित करने के लिए 70000 यादृच्छिक नामों के नाम पर जाली चालान टैली डेटाबेस में दर्ज किए गए। क्रिप्टो के स्रोत का खुलासा आरोपी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया था।

ईडी द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सामने आए निष्कर्षों को साझा करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक शिकायत की गई थी। नतीजतन, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने सिंडिकेट सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच के लिए ईडी द्वारा एक ईसीआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले भी आरोपी मणिदीप मागो को गिरफ्तार किया था। ईडी को मणिदीप मागो से हिरासत में पूछताछ के लिए 5 दिन का समय मिला है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।